न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—242/2016/223 (2016/00242)

1. छोगा पुत्र गणेश, जाति भांभी, निवासी ग्राम खोरी, तहसील पुष्कर जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र शंकर, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम खोरी, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर, जिला अजमेर ।
3. उप पंजीयक, पुष्कर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर दिनांक 17.5.2016 अंतर्गत वाद संख्या 51/2014.

उपस्थितः—

1. श्री भरत गुर्जर, वकील अपीलांट।
2. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2.

निर्णय

दिनांकः— 16.8.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.5.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांट एवं राज्य सरकार के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत वर्किंग खाता संख्या 142/1 के वर्किंग खसरा नंबर 473 मिन रकबा 5 बीघा के वर्तमान जमाबंदी के अनुसार बने खाता संख्या 35 वर्तमान खसरा नंबर 578/1058 रकबा 0.41 है0, 599 रकबा 0.396 है0 एवं 599/1100 रकबा 0.01 है0 स्थित ग्राम खोरी के बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमाबंदी के अनुसार नामांतकरण संख्या 218 दिनांक 22.6.2002 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है किन्तु वर्तमान जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम त्रुटिपूर्ण इंद्राज कर दिया गया है इस कारण वादी को यह वाद प्रस्तुत करना पड़ा है । अंत में वादी ने वादपत्र की प्रार्थना पत्र के अनुसार वाद डिक्री करने का निवेदन किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय निर्णय व डिक्री दिनांक 17.5.2016 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. सर्वप्रथम विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपील के विचाराधीन रहते प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रमाणित प्रति वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041, मिलान क्षैत्रफल एवं वर्तमान जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 की प्रतियां पेश कर कथन किया कि समस्त दस्तावेजात राजस्व अभिलेख है जो राजकीय रिकार्ड है, संदेह से परे है जो प्रकरण को निर्णित करने मे सहायक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त दस्तावेजात को पत्रावली पर लिये जाने का निवेदन किया ।

5. रेस्पो0/आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । उक्त दस्तावेजात विवादित आराजियात से संबंधित होकर राजकीय रिकार्ड है, जो संदेह से परे होकर प्रकरण के सही न्याय, निर्णयन में सहायह होंगे । अतः आवेदनकर्ता/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है ।

6. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने ने अपीलांट को बिना विधिवत् नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये सरसरी तोर पर एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो कि न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने प्रकरण को लोक अदालत में रखकर निर्णित किया है जबकि अपीलांट/प्रतिवादी को वाद के नोटिस तामील ही नहीं हुए थे। लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिनमें पक्षकारान में आपस में सहमति या राजीनामा हो गया हो किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट/प्रतिवादी को अधी0न्याया0 के नोटिस ही तामील नहीं हुए इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रकरण को लोक अदालत में रखकर एकतरफा में निर्णित किया है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलांट विवादित आराजियात का वर्किंग जमाबंदी से खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है । रेस्पो0 का विवादित आराजियात से कोई संबंध नहीं है तथा न ही कभी कब्जा काश्त रहा है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांट/प्रतिवादी को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उसकी पीठ पीछे एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित की है । बहस में आगे यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि अपीलांट के पिता की आवंटनशुदा भूमि होकर अपीलांट राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा है । आवंटी गणेश की मृत्यु उपरांत विवादित आराजियात जरिये नामांतकरण संख्या 15 दिनांक 30.5.1987 द्वारा अपीलांट को जरिये विरासतन प्राप्त हुई है । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । बहस में यह भी निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने वाद में तनकियात भी कायम नहीं की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांट को वाद के नोटिस तामील हो गये थे तथा अधिवक्ता का वकालतनामा भी पेश कर जवाब हेतु समय चाहा है इसलिये अपीलांट का यह कथन कि उन्हें अधी0न्याया0 के

नोटिस तामील नहीं हुए किया गया कथन असत्य है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट का जवाब हेतु कई अवसर दिये गये किन्तु अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 18.2.2016 को प्रतिवादी/अपीलांट का जवाब बंद कर वाद को निर्णित किया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि नामांतकरण संख्या 58 दिनांक 22.1.1996 इंद्राज दुरूस्ती द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश क्रमांक उ0ख0आ0/रा0अभि0/95/92 दिनांक 3.1. 1996 एवं क्रमांक 522 अ/सम/95/370–373 दिनांक 3.1.1996 के अनुसार खसरा नंबर 464 मिन रकबा 5 बीघा के बजाय खसरा नंबर 473 मिन रकबा 5 बीघा का अंकन करना स्वीकार किया गया है । विवादित भूमि के खातेदार धन्ना पुत्र दयाल, जाति कुम्हार वर्किंग जमाबंदी के अनुसार दर्ज है जिसके स्वर्गवास के बाद जरिये विरासत नामांतकरण संख्या 14 दिनांक 30.5.1987 के अनुसार वारिसान श्रीमती भंवरी पुत्री धन्ना व मांगीलाल, व शोकिन पि0 धन्ना के नाम दर्ज किया गया तद्नूकूल धन्ना पुत्र दयाल के वारिसान श्रीमती भंवरी पुत्री धन्ना व मांगीलाल व शौकिन पुत्र धन्ना जाति कुम्हार के द्वारा जरिये पंजीबद्ध बैयनामा द्वारा मूलचंद पुत्र सूरजमल, जाति कुम्हार के द्वारा क्रय की गई जिसके पक्ष में नामांतकरण संख्या 22 दिनांक 12.6.1995 स्वीकृत किया जाकर खातेदार दर्ज किया तत्पश्चात् मूलचंद पुत्र सूरजमल से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 29.1.2002 को विवादित भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तथा शुद्धि दिनांक 25.2. 2002 के अनुसार वर्किंग खसरा नंबर 464 मिन के स्थान पर खसरा नंबर 473 मिन रकबा 5 बीघा का शुद्धिपत्र निष्पादित किया गया । उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादी/रेस्पो0 संख्या 1 के नाम नामांतकरण संख्या 218 दिनांक 22.6.2002 को स्वीकृत होकर वादी/रेस्पो0 विवादित आराजियात पर काबिज काश्त है । विवादित आराजियात से अपीलांट का कोई संबंध नहीं है किन्तु त्रुटिवश विवादित आराजियात अपीलांट के नाम दर्ज हो गई थी । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों को विवेचन कर विधिसम्मत् रूप से वाद डिक्री किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1993 पेज 725, आर0आर0डी0 1994 पेज 620 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट छोगा को विधिवत् नोटिस तामील हो गये थे तद्पोरांत अपीलांट की ओर से श्री विजयसिंह रावत अधिवक्ता द्वारा दिनांक 27.5.2014 को वकालतनामा पेश किया तथा जवाब हेतु समय चाहा । इसके उपरांत प्रकरण को कैम्प कोर्ट स्थान खोरी में रखे जाने के संबंध में अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट को दिनांक 11.5.2016 को नोटिस जारी कर दिनांक 17.5.2016 कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र खोरी पर रखे जाने के संबंध नोटिस जारी किये गये जिसकी पुस्त पर छोगा के हस्ताक्षर है । इसके बावजूद भी अपीलांट छोगा कैम्प कोर्ट में उपस्थित नही हुआ । अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर कथन किया गया कि तामील का बिन्दू अपीलीय न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता है । इस संबंध में विद्वान वकील रेस्पो0 ने न्यायिक दृष्टांत आर0आर0डी0 1993 पेज 725 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि'' (b) Order 41 Rule 21- In an appeal, the party can challenge the judgment on merits only- The judgment

cannot be challenged on the ground that notice was not served on the appellants- When a court passed a decree in the absence of a party, that party has a right to apply for setting aside the ex-parte order or to file an appeal-In case, the second alternative is chosen, the party cannot make a complaint against non-service of notice or summons-It can challenge the judgment of merits only.''

9. इसी प्रकार आर0आर0डी0 1994 पेज 620 एवं 693 हेडनोट–डी में भी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है । उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष तामीली के बिन्दू पर आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 के तहत कार्यवाही न कर अपील प्रस्तुत की गई जिसमें तामील को अपील का मुख्य आधार बनाया है परन्तु उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में यह बिन्दु अपील में नहीं उठाया जा सकता है । अपील गुणावगुण पर ही तय की जा सकती है ।

10. गुणावगुण पर अपीलांट द्वारा कथन किया कि अपीलांट विवादित भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार है एवं अपीलांट के पिता गणेश की विरासत में नामांतकरण संख्या 15 दिनांक 30.5.1987 से अपीलाधीन भूमि प्राप्त हुई है । जबकि रेस्पो0 अधिवक्ता का कथन है कि अपीलाधीन भूमि चौसाला खसरा नंबर 436 कुल रकबा 50 बीघा 15 बिस्वा में से धन्ना पुत्र दयाल कुम्हार को 5 बीघा भूमि एवं अपीलांट के पिता गणेश पुत्र नाथा को 5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी । साबिक खसरा नंबर 436 के वर्किंग खसरा नंबर 461, 462, 463, 464 व 473 बने है । वर्किंग खसरा नंबर 473 मिन रकबा 5 बीघा पर रेस्पो0 के विक्रेता का कब्जा काश्त रहा है परन्तु वर्किंग जमाबंदी में खातेदारी खसरा नंबर 464 बाबत् दर्ज कर दी गई एवं गणेश पुत्र नाथा का कब्जा कशत 464 पर था परन्तु वर्किंग जमाबंदी में खातेदारी खसरा नंबर 473 की दर्ज कर दी गई । इस बाबत् राजस्व कैम्प खौरी में पक्षकारान की सहमति से दिनांक 3.1.1996 को खसरा नंबर 473 के स्थान पर खसरा नंबर 464 रकबा 5 बीघा भूमि अपीलांट के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये एवं रेस्पो0 के विक्रेता मूलचंद पुत्र सूरजमल जिसके द्वारा अपीलाधीन भूमि धन्ना पुत्र दयाल से क्रय की थी के नाम खसरा नंबर 464 के स्थान पर खसरा नंबर 473 रकबा 5 बीघा भूमि दर्ज करने के आदेश दिये गये । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.1. 1996 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा कोई चाराजोही नही की गई एवं न ही इस आदेश को निरस्त कराया गया है तथा उक्त आदेश आज भी प्रभाव में है । उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 3.1.1996 की पालना में नामांतकरण संख्या 58 दिनांक 22.1.1996 स्वीकृत किया गया जिसको भी चुनौती नही दी गई है । अपीलाधीन भूमि धन्ना पुत्र दयाल के स्वर्गवास के बाद उनके वारिसान द्वारा जरिये पंजीबद्ध बैयनामा मूलचंद पुत्र सूरजमल कुम्हार को विक्रय की गई एवं क्रेता मूलचंद के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा इंद्राज दुरूस्ती के आदेश दिनांक 3. 1.1996 को पारित किये गये है तथा नामांतकरण संख्या 58 दिनाक 22.6. 1996 को मूलचंद के पक्ष में स्वीकृत किया गया है । क्रेता मूलचंद द्वारा विवादित आराजी रेस्पो0 भंवरलाल को पंजीबद्ध विक्रय पत्र से विक्रय की गई तत्पश्चात् पंजीबद्ध विक्रय पत्र में त्रुटि रहने से शुद्धिपत्र दिनांक 25.2. 2002 को निष्पादित करवाया गया जिसके अनुसार नामांतकरण संख्या 218 दिनांक 22.6.2002 को रेस्पो0 के पक्ष में स्वीकृत कर खातेदार दर्ज किया गया है । अपीलांट द्वारा वर्किंग जमाबंदी की प्रविष्टियों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है न ही इस वाद में काउन्टर क्लेम ही पेश किया गया है । भू–प्रबंध विभाग द्वारा वर्किंग खसरा नंबर 473

मिन के वर्तमान खसरा नंबर 578/1058 रकबा 0.41 है0 एवं खसरा नंबर 599 रकबा 0.39 है0 एवं खसरा नंबर 599/1100 रकबा 0.01 है0 बने है परन्तु उक्त भूमियां भू–प्रबंध विभाग द्वारा गलत तौर पर पुनः अपीलांट के नाम दर्ज कर दी गई जबकि भू–प्रबंध विभाग को जब तक सक्षम न्यायालय का आदेश न हो तब तक पूर्व इंद्राज को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था । भू–प्रबंध विभाग को पूर्व इंद्राज को ही वर्तमान अभिलेख में यथावत् रखने का ही अधिकार है । हस्तगत प्रकरण भू–प्रबंध विभाग द्वारा बिना अधिकारिता एवं बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के वर्किंग जमाबदी में दर्ज प्रविष्टियों नामांतकरण संख्या 58 दिनांक 22.1.1996 एवं नामांतकरण संख्या 218 दिनांक 22.6.2002 को लोप कर पुनः अपीलांट के नाम दर्ज करने में त्रुटि कारित की है । इस पर दौराने कैम्प अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 2.6.2015 रेस्पो0 से इंद्राज दुरूस्ती का आवेदन प्राप्त होने पर भू0अ0निरीक्षक एवं पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई जो दिनांक 17.5.2016 को तहसीलदार, पुष्कर द्वारा कैम्प अधिकारी के समक्ष पेश की गई । उक्त रिपोर्ट में तहसीलदार, पुष्कर द्वारा वर्तमान खसरा नंबर 599 रकबा 0.39 है0, 599/1100 रकबा 0.01 है0, 578/1058 रकबा 0.41 है0 अपीलांट छोगा के स्थान पर रेस्पो0 भंवरलाल पुत्र शंकर कुम्हार के नाम दर्ज करने की प्रस्तावना की तथा वर्तमान खसरा नंबर 583 रकबा 0.80 है0 एवं 583/1102 रकबा 0.01 है0 मूलचंद पुत्र सूरजमल कुम्हार के स्थान पर छोगा वल्द गणेश के क्रेता लक्ष्मणराम व रामसुख पि0 गोगाराम रेगर के नाम दर्ज करने की प्रस्तावना की । अधी0न्याया0 द्वारा सभी राजस्व अभिलेख एवं पूर्व पारित उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 3.1.1996 एवं नामांतकरण संख्या 58 दिनांक 22.1.1996 एवं नामांतरकरण संख्या 218 दिनांक 22.6.2002 एवं वर्किंग जमाबंदी के इद्रांज एवं पटवारी, गिरदावरी एवं तहसीलदार, पुष्कर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित जांच रिपोर्ट दिनांक 17.5.2016 को अवलोकन एवं परीक्षण कर विधिसम्मत् रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

11. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.5.2016 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 16.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर